पत्रांक–भवन/बजट–74–यो० (वि.प्रा.वि.)–03/2018–19..... 9607(4)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 8/10/26

विषय– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी षिक्षा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** में कुल **₹ 8,47,42,745/–(आठ करोड़ सैंतालीस लाख बयालीस हजार सात सौ पैंतालीस रूपए)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी षिक्षा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल **₹ 8,47,42,745/–(आठ करोड़ सैंतालीस लाख बयालीस हजार सात सौ पैंतालीस रूपए)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, अरवल	34486	अरवल जिलान्तर्गत अरवल जिला में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय अरवल के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (जी+5) एवं 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (जी+3) का निर्माण कार्य	3478/30.06.25	₹5,82,05,277/- (पाँच करोड़ बयासी लाख पाँच हजार दो सौ सतहत्तर रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	34393	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पोलेटेकनिक मुजफ्फरपुर के परिसर में 300 बेडेड बालिका छात्रावास (जी+5) के निर्माण कार्य	3464/12.08.24	₹2,65,37,468/- (दो करोड़ पैंसठ लाख सैंतीस हजार चार सौ अड़सठ रूपये)
योग:–					**₹8,47,42,745/–**

(आठ करोड़ सैंतालीस लाख बयालीस हजार सात सौ पैंतालीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0117–इंजिनियगि/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) **कोड–03–4059800510117** के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0117.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

8/10/26

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।